

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

खेल मैदान

क्र.सं.		धारा 4(1)(ख) के तहत 17 श्रेणियों का विवरण
1.	संगठन का विवरण अनुभाग।	राजस्थान पुलिस अकादमी खेल मैदान
2.	अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य एवं शक्तियाँ।	(क) सहायक निदेशक (आउटडोर) – समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व। (ख) संचित पुलिस निरीक्षक (प्रशासन) – समस्त प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन एवं पर्यवेक्षण। (ग) शारीरिक प्रशिक्षक।— निर्धारित किये गये शारारिक प्रशिक्षण संबंधी समस्त कार्यों का सम्पादन।
3.	निर्णय बनाने के लिए प्रक्रिया।	शारीरिक प्रशिक्षक प्रभारी खेल मैदान के द्वारा दिये गये प्रस्तावों को सहायक निदेशक(आउटडोर) के द्वारा समुचित माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित कर निदेशक महोदय के आदेशानुसार निर्णय किये जाते हैं।
4.	कार्यों के निर्वहन के लिए मानदण्ड।	समय-समय पर निर्धारित मानदण्ड अन्य एजेन्सी/पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार स्वीकृति उपरान्त कार्य को करवाना एवं पालना करना तथा खेल मैदान के दायित्वों के संबंध में मानक कार्य प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के अनुसार विविध कार्यों का सम्पादन।
5.	कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम।	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निदेशक आर.पी.ए. द्वारा जारी नियम, विनियम, परिपत्रों के अनुसार कार्यों का सम्पादन। ➤ कार्य निर्धारण हेतु खेल मैदान हेतु जारी मानक कार्य प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के तहत कार्य निष्पादन पालन करवाना। ➤ समय समय पर जारी अन्य विनियम।
6.	श्रेणियों का विवरण।	<ul style="list-style-type: none"> ● खेल मैदान से संबंधित दस्तावेज। ● एस.ओ.पी सम्बंधित पत्रावली
7.	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।
8.	परामर्शदात्री समितियां अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।

9.	अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका।	सहायक निदेशक (आउटडोर), फोन नं० 0141-2301878 पीबीएक्स नं० -506.
10.	अधिकारियों / कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक।	लेखा शाखा।
11.	बजट प्रत्येक एजेन्सी को आवंटित।	लेखा शाखा।
12.	सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन।	लागू नहीं।
13.	रियायते, परमिट पाने वाले का ब्यौरा।	लागू नहीं।
14.	एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचना।	राजस्थान पुलिस अकादमी की वेबसाइट पर उपलब्ध।
15.	नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं।	लागू नहीं।
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पदनाम विशिष्टताएं।	सहायक निदेशक (प्रशासन) लोक सूचना अधिकारी व निदेशक, आरपीए, प्रथम अपील अधिकारी।
17.	ऐसी अन्य सूचनाएं।	विभाग द्वारा समय-समय सम्बन्धित सूचना को प्रकाशित किया जाता है।